फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर

कालूराम बनाम राजेश कुमार वगै0

मा संख्या : 90 / 2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11.09.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थीगणों ने पत्रावली में पेश होने से मना किया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली को अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादांकित भूमि को खुर्द-बुर्द होने का पूर्ण अंदेशा है। अतः वाद के अन्तिम निस्तारण तक जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावें। अतः पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली से संबंधित मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रार्थना पत्र मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 18.08.2023 को यथावत जारी रखना आवश्यक है। जिससे वादग्रस्त भूमि किसी प्रकार से खुर्द-बुर्द नही हो सके। प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 18.08.2023 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म करना उचित समझते है। अतः पत्रावली में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 18.08.2023 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक ताफैसला कन्फर्म किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूति मूल वाद के साथ हमफिता हों।	

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner